संख्या-14/2017/ए-1-19वीआईपी/दस-2017-10(48)/2013

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 08 नवम्बर, 2017

विषय :- राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा टीडीएस संग्रह के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अभय तायल, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र, कानपुर के पत्र संख्या-**PR.CCIT/KNP/2017-18/3623,** दिनांक 26 सितम्बर, 2017(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को अपने से स्तर से आवश्यक निर्देश देने कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-14/2017/ए-1-19वीआईपी(1)/दस-2017-10(48)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4- प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र, आयकर भवन, 16/69 सिविल लाइन्स, कानपुर-208001
5- वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOMETAX(CCA),
U.P.(WEST) & UTTARAKHAND REGION, KANPUR
Aayakar Bhawan, 16/69 Civil Lines, Kanpur – 208 001
Telephones: 2304475 Fax: 2306491

F.No.Pr.CCIT/KNP/2017-18/3623 DATED: September 26, 2017

To,

The Chief Secretary,
LUCKNOW (U. P.).

Sir,

SUB: ***Regarding TDS collection pertaining to State Government offices of UP West – Regarding –***

Kindly refer to the above mentioned subject.

2. In this connection, it is to bring to your notice that the office of Commissioner of Income Tax(TDS) has jurisdiction over the TDS collection of the State Government Offices based in UP(West) & Uttarakhand.

3. During the course of various surveys by the office of the TDS, Kanpur it has come to notice that the DDOs' are not deducting the tax properly nor are they filing quarterly TDS statements regularly. Further, a general trend has been noticed whereby the DDOs' give tax benefits/exemptions/deductions without proper verification, it has also been seen that the DDOs' generate Form No.16 & 16A as per their own format which is not allowable under the Income Tax Act. The DDOs' also do not file the quarterly statement regularly. There is a general apathy towards the outreach programmes held for the education of the DDOs'.

4. TDS is a very important arm of the Taxation Department and the Income Tax Act provides for imposition of personal liability on the erring DDOs'. In view of the protection of the interest of Revenue it is requested that a directive may please be issued to the DDOs' in UP West to ensure proper deduction of tax.

Yours faithfully,

(ABHAY TATAL)
Pr. Chief Commissioner of Income Tax
U.P.(West) & Uttarakhand, Kanpur.